

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग


: आदेश :

संख्या-09/पद-05-01/2025, सा0प्र0³⁶³⁶पटना-15, दिनांक-.....^{20.9}...../2026

सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारी/कर्मियों को दिनांक-03.03.2026 से 04.03.2026 तक होली पर्व, 2026 के अवकाश अवधि में कार्य व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालन करने हेतु मुख्यमंत्री सचिवालय में प्रतिनियुक्त किया जाता है:-

क्र०	नाम/पदनाम	विभाग/कार्यालय का नाम
1.	श्री श्लोक पासवान, वरीय प्रधान आप्त सचिव	अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग
2.	मो० अबु रजा कौश, वरीय प्रधान आप्त सचिव	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, बिहार, पटना
3.	श्री उमैर अहमद अंसारी, वरीय प्रधान आप्त सचिव	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना
4.	श्री राजपाल कुमार, प्रधान आप्त सचिव	बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना
5.	श्री प्रदीप प्रभाकर, प्रधान आप्त सचिव	विधि विभाग, बिहार, पटना
6.	मो० सोहैल, निजी सहायक	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना
7.	श्री रजनीश कुमार, आशुलिपिक	जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना
8.	श्री सौरभ कुमार, आशुलिपिक	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना
9.	श्री रोहित कुमार, आशुलिपिक	लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना
10.	श्री घनंजय कुमार, आशुलिपिक	लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना
11.	श्री मोहित कुमार, आशुलिपिक	ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना
12.	श्री प्रितम कुमार, आशुलिपिक	उद्योग विभाग, बिहार, पटना
13.	श्री धीरज कुमार, आशुलिपिक	स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
14.	मो० आसिफ मंसूरी, आशुलिपिक	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
15.	मो० अताउल्लाह आशुलिपिक	वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना
16.	मो० अब्दुल्लाह, आशुलिपिक	श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना


2. उपर्युक्त प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/कर्मि दिनांक-24.02.2026 तक निश्चित रूप से मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना में अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।
3. उक्त पदाधिकारी/कर्मि को वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-10281, दिनांक-27.09.1973 की कंडिका-02 में निहित प्रावधान के आलोक में क्षतिपूरक छुट्टी का लाभ अनुमान्य होगा।



(राज किशोर तिवारी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या-09/पद-05-01/2025, सा0प्र0.....³⁶³⁶ पटना-15, दिनांक-²⁰.....²⁰.....2026
प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सभी संबंधित विभाग/कार्यालय बिहार, पटना एवं सभी संबंधित पदाधिकारी/कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।